कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क./606/वा./अविअ/2025 धमतरी दिनांक 14/05/2025

प्रति,

01. वनमण्डलाधिकारी
वन मंडल जिला धमतरी
02. श्री नामदेव सिन्हा
निवासी ग्राम रांवा
तहसील व जिला धमतरी

रा.प्र.क. 202504130400030 अ–62
वर्ष 2024–25

विषय :– वृक्ष कटाई हेतु अनुशंसा।

---0---

विषयान्तर्गत आवेदक द्वारा आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी एवं राजस्व निरीक्षक धमतरी का प्रतिवेदन प्रकरण में संलग्न है। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :–

वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी के प्रतिवेदन दिनांक 04.09.2023 के अनुसार आवेदक नामदेव सिन्हा पिता हेमराय सिन्हा, ग्राम रांवा, तहसील व जिला धमतरी द्वारा रोपित सागौन वृक्ष कटाई के संबंध में प्राप्त आवेदन का सहायक परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर धमतरी द्वारा मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन में ग्राम रांवा स्थित भूमि खसरा नंबर 1284/39 में कुल 02 नग सागौन वृक्ष का मापन किया गया। जिसकी छाती गोलाई मार्किंग रिकार्ड दर्ज किया गया। दोनों वृक्ष आवेदक के मकान प्रांगण पर स्थित है जो कि आंधी तूफान से गिरने पर जान माल की हानि पहुँच सकता है। वृक्ष राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत होना प्रतिवेदित है।

राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 15.04.2025 में उल्लेखित है कि आवेदक नामदेव सिन्हा पिता हेमराय सिन्हा, ग्राम रांवा, तहसील व जिला धमतरी द्वारा ग्राम रांवा में स्वयं के नाम पर धारित भूमि खसरा नं. 1284 रकबा 394 शासकीय आबादी भूमि में से 0.04 हे. पर निर्माणाधीन मकान बाड़ी में स्थित भूमि में दो परिपक्व वृक्ष की कटाई की अनुमति के संबंध में आवेदन किया गया है जिस पर बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

01. ग्राम रांवा स्थित भूमि (आवेदित भूमि) खसरा नं. 1284 रकबा 3.94 शासकीय आबादी भूमि में से 0.04 हे. पर आवेदक द्वारा मकान बाड़ी निर्मित किया गया है जिस पर बाड़ी में आवेदक द्वारा 02 नग सागौन वृक्ष रोपित किए गये है जो आज वर्तमान में स्वस्थ एवं परिपक्व अवस्था में होना पाया गया।
02. आवेदक द्वारा उल्लेखित दोनों सागौन वृक्ष कटाई हेतु अनुमति चाही गई है।

कमशः.......2

254

Tree

वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी एवं राजस्व निरीक्षक धमतरी के स्थल जांच प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वर्तमान में खसरा नंबर 1284 रकबा 3.94 हे. में से रकबा 0.04 हे. भूमि पर ग्राम रांवा, प.ह.नं. 25, तहसील व जिला धमतरी में उक्त खसरा पर रोपित 02 नग सागौन प्रजाति को कांटे जाने की अनुशंसा की जाती है। इसे **वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के निमय 7 की कंडिका (4)** के अनुसार वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराए तथा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा कराने का कष्ट करें। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

जारी दिनांक :– / /2025

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धमतरी

पृ.क./607/वा./अविअ/2025 धमतरी दिनांक 14/05/2025

प्रतिलिपि :–

01. कलेक्टर जिला धमतरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. तहसीलदार धमतरी, वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।
03. वन परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धमतरी